कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, जयपुर बनाम

मैसर्स हिंडन ज़िन्क लिमिटेड सिंक स्मेल्टर, देबारी जिला उदयपुर, राजस्थान

24 मार्च, 2004

[एस. एन. वरियावा और एच. के. सीमा, जे. जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और टैरिफ अधिनियम, 1985; छूट अधिसूचना संख्या 217/86-सीई दिनांक 2 अप्रैल 1986:

छूट अधिसूचना-इनपुट के लाभ-हेडर के साथ लीड शीट संलग्न - ट्रिब्यूनल ने लीड इनपुट शीट को अधिसूचना के लाभ के लिए पात्र माना है, लेकिन हेडर को नहीं-अपील पर, अवधारित किया गया: अधिसूचना केवल इनपुट को छूट देती है - चूंकि सीसा/एल्यूमीनियम शीट इनपुट हैं न कि हेडर, अधिसूचना के लाभ केवल शीट के लिए उपलब्ध होंगे।

इन अपीलों में प्रश्न उठा था कि क्या राजस्व द्वारा जारी 2 अप्रैल 1986 की अधिसूचना संख्या 217/86-सीई का लाभ सीसा/एल्युमीनियम शीट के संबंध में उपलब्ध होंगे, जिसमें शीर्षक संलग्न होगा।

न्यायालय ने अपीलों का निस्तारण करते हुए,

अवधारित किया गया: 1.1. 1986 की अधिसूचना संख्या 217/86-सीई केवल इनपुट को छूट देती है। यह यह भी स्पष्ट करता है कि किसी सामान के निर्माण और प्रसंस्करण या किसी पदार्थ में या अंतिम उत्पाद के संबंध में कोई बदलाव लाने के लिए उपयोग की जाने वाली मशीन, मशीनरी, संयंत्र उपकरण, औजार, उपकरण या साधन को "इनपुट" शब्द से बाहर रखा जाएगा। [526-ई]

1.2. हेडर चाहे सीसे या एल्यूमीनियम शीट से जुड़े हों, इनपुट नहीं हैं; चूँिक वे इनपुट नहीं हैं, अधिसूचना का लाभ हेडर को उपलब्ध नहीं होगा। लेकिन शीट इनपुट हैं; इसलिए वे अधिसूचना के लाभों के हकदार हैं। [526-जी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या २४६७ वर्ष 1999।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ए. क्रमांक ई/2330 वर्ष 1992-बी1 में एफ.ओ.क्रमांक ई/87/99-बी1 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 25.1.99 की अपील।

साथ।

सी.ए. संख्या 9276 वर्ष 2003।

रंजीत कुमार, दिलीप टंडन, संजीव सेन और बी.के. प्रसाद अपीलकर्ता के लिए।

ए.आर. माधव राव, विश्वनाथ शुक्रा, वी. बालाचंद्रन, आलोक यादव और राजेश कुमार उत्तरदाताओं के लिए। न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

एस. एन. वारिया, जे. इन दो अपीलों में जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या उत्तरदाता दिनांकित 2 अप्रैल 1986 की अधिसूचना संख्या 217/86-सीई के लाभ के हकदार हैं। ट्रिब्यूनल ने, बिना कोई निश्चित कारण बताए, अपने आदेश में कहा है कि सीसा इनपुट शीट अधिसूचना के लाभ के लिए पात्र होगी, लेकिन हेडर अधिसूचना के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

1986 की अधिसूचना संख्या 217/86-सीई केवल इनपुट को छूट देती है। यह यह भी स्पष्ट करता है कि किसी सामान के निर्माण और प्रसंस्करण या किसी पदार्थ में या अंतिम उत्पाद के संबंध में कोई बदलाव लाने के लिए उपयोग की जाने वाली मशीन, मशीनरी, संयंत्र उपकरण, औजार, उपकरण या साधन को "इनपुट" शब्द से बाहर रखा जाएगा। हमारे सामने ट्रिब्यूनल के इस निष्कर्ष पर सवाल उठाया जा रहा है कि सीसा एनोड/धनाग्र शीट अधिसूचना के लाभ के लिए पात्र हैं।

यह उचित रूप से स्वीकार किया गया था कि शीट एक इनपुट होगी और यदि यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिसूचना केवल शीट पर लागू होती है, न कि शीट पर हेडर तय होने के बाद निर्मित अंतिम उत्पाद पर, विभाग संतुष्ट हो जाओगे। इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

हमारे विचार में यह स्पष्ट है कि हेडर चाहे सीसे या एल्यूमीनियम शीट से जुड़े हों, इनपुट नहीं हैं। चूंकि वे इनपुट नहीं हैं इसलिए अधिसूचना का लाभ हेडर को उपलब्ध नहीं होगा। हालाँकि, शीट इनपुट हैं और वे अधिसूचना के लाभ के हकदार होंगे।

इन अपीलों का तदनुसार निस्तारण किया जाता है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा। एस.के.एस. अपीलों का निपटारा किया गया।

> यह मेरे, छवि बंसल, सिविल जज (सीनियर डिविजन), कर्णप्रयाग, जिला चमोली द्वारा किये गये निर्णय की शब्द दर शब्द सच्ची सत्यापन/अनुवाद है।